प्रदूषण रोकिए!
पर्यावरण बचाइए!!

दूरभाष एवं फैक्स : 05542–281440
Phone & Fax : 05542–281440

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती
Regional Office
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, BASTI

संदर्भ संख्या : 487/सम-14प/सि०मि०रि०/2024 दिनांक : 18/03/2024

To,

The Deputy Registrar (Judicial),
National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi-110001

Sub.: **Submission of Joint committee report in compliance of order dated 08.01.2024 passed by Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in O.A. No. 650/2023 in the matter of Aditya Rai V/s State of Uttar Pradesh and others.**

Hon'ble Sir,

Kindly refer the subject mentioned above. In compliance of the order dated 08.01.2024 passed by Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in O.A. No. 650/2023 in the matter of Aditya Rai V/s State of Uttar Pradesh and others the Joint Committee report is enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action, Please.

Enclosures: As above

Sincerely Yours

Sd/- 18/03/2024
(Dr. T.N. Singh)
Regional Officer

Copy to: Chief Environment Officer (Circle-6), U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information further necessary action.

Sd/- 18/03/2024
O/c Regional Officer

Joint Committee Report

Compliance of the order dated 08.01.2024 of Hon'ble NGT in the matter of O.A. 650/2023 Aditya Rai vs State of Uttar Pradesh and others.

1. Hon'ble NGT has constituted a joint committee vide its order dated 08.01.2024 in O.A. no. 650/2023 Aditya Rai Vs State of Uttar Pradesh and others. The operative part of the order is as follows:-

   .... *"1. Mr. Aditya Rai resident of Village and Post Rajnoli, Tehsil Dhanghata, District Sant Kabir Nagar, Uttar Pradesh has sent by post the present letter petition, which has been treated and registered as original application, complaining about damage to the environment by illegal operation of M/s Mahadev Bricks Field (JSY Marka) at village Naghara Tehsil Dhanghata, District Sant Kabir Nagar, Uttar Pradesh in violation of environmental norms and closure order causing pollution in the entire thickly populated area and posing serious health hazards to local inhabitants."*

   4. In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) and District Magistrate, Sant Kabir Nagar and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance. Factual and Action taken Report may be submitted within two months by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

   5. List for further consideration on 22.03.2024.

2. In compliance of the Hon'ble NGT direction, following members has been nominated by the concern departments:-
   i. Shri Utkarsh Srivastava, S.D.M., Tehsil-Dhanghata, Disrict-Sant Kabir Nagar (Nominated by District Magistrate, Sant Kabir Nagar).
   ii. Dr. T.N. Singh, Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Basti(Nominated by State Board).

3. The designated committee conducted the site visit on dated 13.03.2024. It was found that the said brick kiln M/s Mahadev Brick Field(JSY Marka), Vill-Nagahra, Tehsil-Dhanghata, District-Sant Kabir Nagar was totally closed. The laying of Ent has also been closed by the project proponent in the current bhattha season.

   It is pertinent to note that closure order had been issued by U.P. Pollution Control Board vide ref. no. H93270/C-6/Ent Bhattha/171/Bandi Adesh/Basti/2023 dated 09/05/2023 which has been annex as **annexure no.-1**.

In compliance of the order of the State Board, the said ent bhattha had been closed by the State Board with the help of District Administration, Sant Kabir Nagar on dated 29/05/2023. The compliance report of the closure order has been annexed as **Annexure no.-2.**

4. The joint committee constituted by Hon'ble NGT, visited the site on dated 13/03/2024 and it was found that the laying of bricks and firing of kiln has not been started by the proprietor of the ent bhattha in the current bhattha season. He is fully complying the direction of the State Board. The joint committee directed to brick kiln owner/ representative of the brick kiln Shri Jai Singh Yadav that the brick kiln shall not be operated without consent to operate(CTO) of the State Board. The photo graphs of current the situation of ent bhattha has been annexed as **annexure no-3** and the compliance report of the committee dated 13/03/2024 has been annexed as **annexure no.-4.**

5. **Findings of the committee**

The committee found that the mining of the clay as well as laying and firing of the bricks in the brick kiln has been closed by the brick kiln owner in the current ent bhattha season. The committee is in opinion to oversee the ent bhattha from time to time so that the ent bhattha may not be operated without prior CTO of the State Board.

16/3/2024

(Dr. T.N. Singh)
Regional Officer,
UPPCB, Basti

16.3.24

(Utkarsh Srivsastav)
SDM, Dhaghata
Sant Kabir Nagar

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ .... वृत्त–6 / ईट भट्ठा / 171 / बन्दी आदेश / बस्ती / 2023 दिनॉक 9-5-23

सेवा मे

मैसर्स महादेव ब्रिक फील्ड, (JSY मार्का),
ग्राम–नगहरा,
तहसील–घनघटा,
जनपद–सन्तकबीर नगर।

पंजीकृत

यह कि मैसर्स महादेव ब्रिक फील्ड, (JSY मार्का), ग्राम–नगहरा, तहसील–घनघटा, जनपद–सन्तकबीर नगर जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी, बालू आदि का प्रयोग कर 20,000 ईट प्रतिदिन के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अंतर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि ईट भट्ठा मैसर्स महादेव ब्रिक फील्ड, (JSY मार्का), ग्राम–नगहरा, तहसील–घनघटा, जनपद–सन्तकबीर नगर का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, बस्ती के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 23.03.2023 को किया गया। उक्त ईट भट्ठा, ग्राम–नगहरा, तहसील–घनघटा, जनपद–सन्तकबीर नगर में स्थापित/संचालित है।

यह कि निरीक्षण आख्यानुसार ईट भटठे के पूरब दिशा में लगभग 1.0 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम– कोदरा स्थित है। ईट भटठे पश्चिम दिशा में लगभग 800 मीटर की दूरी पर ग्राम–खैराती स्थित है, उत्तर दिशा में लगभग 600 मीटर की दूरी पर ग्राम बभनौली स्थित है तथा दक्षिण दिशा में लगभग 280 मीटर की दूरी पर एम0जी0 पब्लिक स्कूल तत्पश्चात लगभग 450 मीटर की दूरी पर जिगिना चौराहा तथा इसी दिशा में चिमनी से लगभग 500 मीटर की दूरी पर मुन्नीलाल राम बिलास इण्टर कालेज स्थित है। दक्षिण–पूरब दिशा में ईट भटठे के चिमनी से लगभग 230 मीटर की दूरी पर एक अन्य ईट भटठा मेसर्स हनुमान ब्रिक फील्ड, ग्राम–रजनौली, तहसील–घनघटा, जनपद–सन्तकबीर नगर स्थित है, ईट भटठे का स्थल उ0प्र0 ईट भटठा स्थल (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नही है तथा कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईट भट्ठे को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित एवं संचालित किया गया है।

उक्त परिस्थितियों में ईट भट्ठे द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1981 की धारा, 21/22 का अनुपालन न करते हुए इकाई का संचालन करना आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतएव जन–स्वास्थ्य एवं व्यापक जन–हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि ईट भट्ठे के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत मैसर्स महादेव ब्रिक फील्ड, (JSY मार्का), ग्राम–नगहरा, तहसील–घनघटा, जनपद–सन्तकबीर नगर के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31 ए के अर्न्तगत निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता है:–

1 यह कि मैसर्स महादेव ब्रिक फील्ड, (JSY मार्का), ग्राम–नगहरा, तहसील–घनघटा, जनपद–सन्तकबीर नगर को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।

2 यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि मैसर्स महादेव ब्रिक फील्ड, (JSY मार्का), ग्राम–नगहरा, तहसील–घनघटा, जनपद–सन्तकबीर नगर को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जलापूर्ति को विच्छेदित करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–6

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1 जिलाधिकारी, सन्तकबीर नगर।
2 पुलिस अधीक्षक, सन्तकबीर नगर।
3 अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, सन्ताकबीर नगर।
4 जिला खान अधिकारी, सन्तकबीर नगर।
5 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती।

Atulesh yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–6

Annexure-2

कार्यवृत्त

उपजिलाधिकारी धनघटा के पत्र संख्या 169/एस०टी० - एस०डी०एम० दिनांक 26/5/2023 के क्रम में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड लखनऊ के पत्र दिनांक 9/5/23 संदर्भ संख्या एच० 93270/कल-6/ईंट भट्ठा/17/1/बंदी आदेश बस्ती/2023/ दिनांक 9/5/2023 के अनुपालन में मै० महादेव ब्रिक फील्ड ग्राम नाहरा तहसील धनघटा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 29/5/2023 को सील कर दिया गया बंदी आदेश का पूर्णतया अनुपालन करने का ईंट भट्ठा संचालन ना करने विषयक आदेश प्रोपराइटर श्रीरामप्रताप यादव के पुत्र श्री जयसिंह यादव ईंट भट्ठा प्रतिनिधि को प्राप्त कराया गया।

29/5/2023
(पराशर कुमार पाण्डेय)
प्रभा० लेखा०

29/05/23
(रत्नेश तिवारी)
तहसीलदार
धनघटा
संतकबीरनगर

एक प्रति बंदी आदेश की प्राप्त किया
ह० [illegible]
दिनांक 29-5-23

Annexure-31

Latitude: 26.500052
Longitude: 83.10546
Altitude: 17.53±4 m
Accuracy: 3.2 m
Time: 01-03-2024 13:25
Note: m/s mahadev brick field naghara skn
Powered by NoteCam

Time: 01-03-2024 13:27
Note: m/s mahadev brick field naghara skn
Powered by NoteCam

Annexure - 3(II)

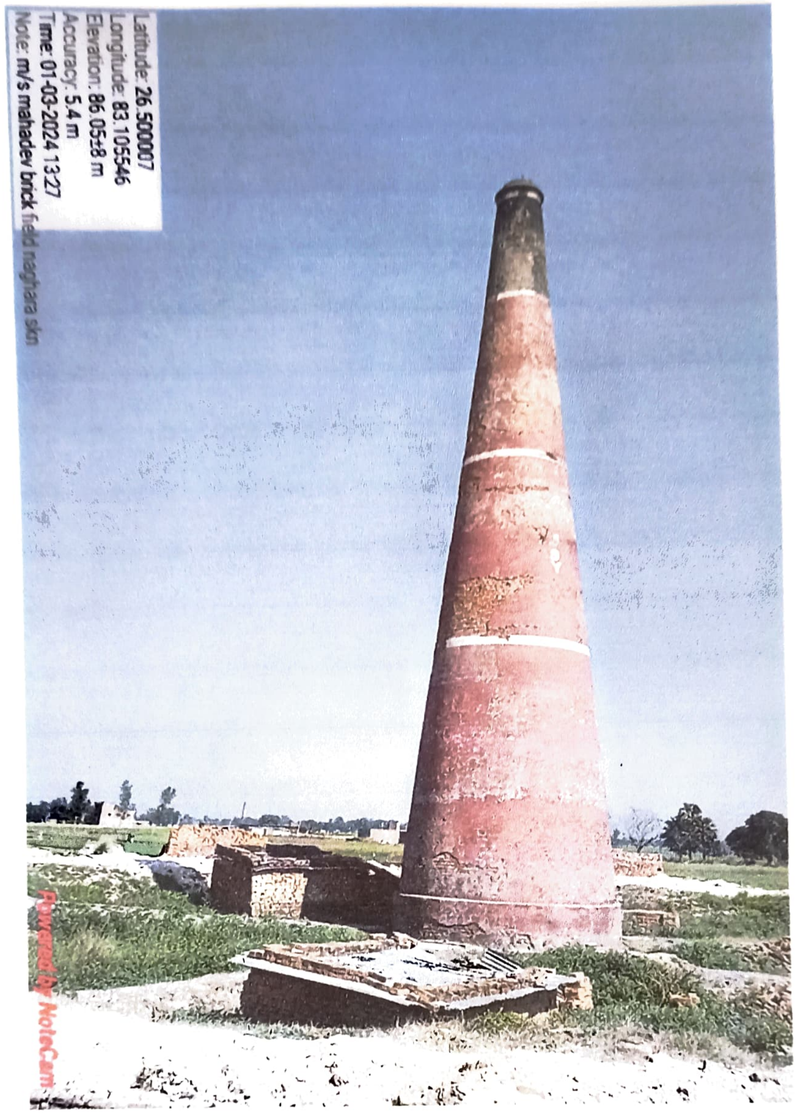

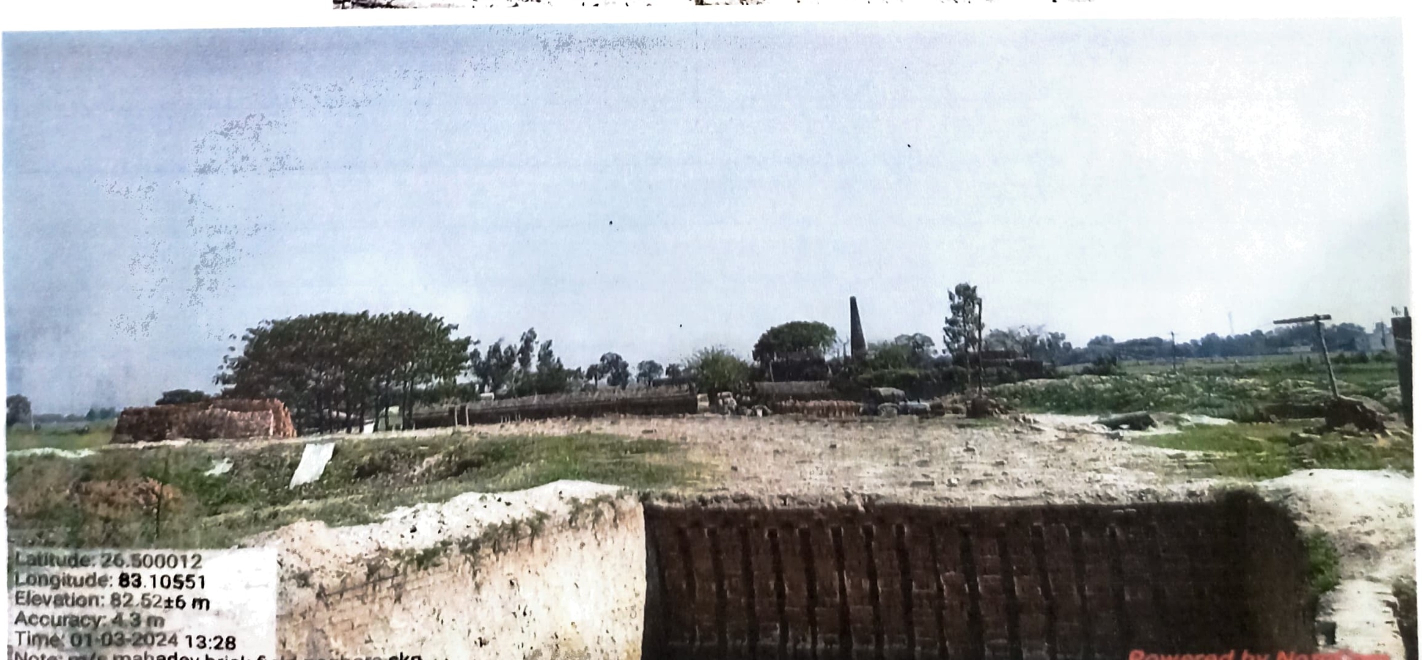

Annexure-4

बन्दी की अनुपालन आख्या

प्रश्नगत ईंट भट्ठा मेसर्स महादेव ब्रिक फील्ड(JSY मार्का), ग्राम–नगहरा, तहसील–धनघटा, जनपद–संतकबीरनगर के विरूद्ध राज्य बोर्ड के पत्रांक संख्या–एच93270/वृत्त–6/ईंट भट्ठा/171/बन्दी आदेश/बस्ती/2023 दिनांक 09.05.2023 द्वारा वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981(यथा संशोधित) की धारा–31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया है। बन्दी आदेश का अनुपालन हेतु अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), संतकबीरनगर द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 29.05.2023 को ईंट भट्ठा का संचालन बन्द करा दिया गया था। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 सं0 650/2023 में पारित आदेश दिनांक 08.01.2024 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, संतकबीरनगर द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा पुनः दिनांक 13.03.2024 को मेसर्स महादेव ब्रिक फील्ड(JSY मार्का), ग्राम–नगहरा, तहसील–धनघटा, जनपद–संतकबीरनगर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय उक्त ईंट भट्ठा पूर्णतया बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री जयसिंह यादव उपस्थित थे। निरीक्षण के समय उपस्थित ईंट भट्ठा प्रतिनिधि को यह निर्देशित किया गया कि राज्य बोर्ड से जारी बन्दी आदेश का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा ईंट भट्ठे का संचालन राज्य बोर्ड से सहमति(CTO) प्राप्त करने के उपरान्त ही करेंगे।

13/3/2024
(पराशर कुमार पाण्डेय)
प्रयो० सहा०
उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
बस्ती

13/3/2024
(क्षेत्रीय अधिकारी)
प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
बस्ती

उपजिलाधिकारी
तह० धनघटा
जनपद- संत कबीरनगर